

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : एफ.55()अभि./सीई/डीएलबी/2018/ 60701-839 दिनांक : 6/7/18

1. उप निदेशक (क्षेत्रिय),
स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
2. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त राजस्थान।

विषय :- एन.डी.एम.ए. द्वारा जनवरी 2008 में बाढ़ प्रबन्धन के संबंध में जारी की गई गाईड लाईन के संबंध में।

प्रसंग:- शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर का पत्रांक एफ 8(2)आ.प्र.एवं सहा/बाढ़/2017/10174 दिनांक 22.06.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रांसगिक पत्र दिनांक 22.06.2018 अनुसार एन.डी.एम.ए. द्वारा जनवरी 2008 में बाढ़ प्रबन्धन के संबंध में जारी की गई गाईड लाईन के संबंध में निकायों से संबंधित सूचना चाही गई है।

अतः प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि निकायों से संबंधित सूचना दिनांक 09.07.2018 सांय: 4.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र-अ में उपनिदेशक (क्षेत्रिय) कार्यालय के माध्यम से ईमेल आई.डी. cedlbpj@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ 55()अभि./सीई/डीएलबी/2018/60900-903 दिनांक : 6/7/18

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता